उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या-क0नि0-2-1708/ग्यारह–9(115)/14–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(146)–2015
दिनांक: 08 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उक्त अनुसूची–एक में, क्रम संख्या 13 की प्रविष्टि में, अर्द्धविराम और शब्द " **; बायोमास/बायोगैस से चालित इंजन एवं जनरेटिंग सेट तथा उनके पार्ट्स**" अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।

09 Dec 15 05:05 PSCT UP 0522 2238023 p.2